

कार्यालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर (राज.)

क्रमांक: 278

दिनांक: 05.03.2025

माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, सीकर के अनुमोदन आदेश क्रमांक:स्था./2025/1586 दिनांक 05.03.2025 के उपरांत मैं, विकास कुमार स्वामी, (आर.जे.एस.), मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर एतद्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 12(1) व 13(2) (दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 14(1) व 15(2)) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में सीकर जिले के न्यायिक मजिस्ट्रेट्स के मध्य कार्य विभाजन के लिए समय-समय पर जारी आदेशों को अतिलंबित करते हुए दिनांक 06.03.2025 से सीकर जिले के न्यायिक मजिस्ट्रेट्स के मध्य कार्य विभाजन हेतु निम्नानुसार स्थानीय क्षेत्राधिकारिता परिनिश्चित करता हूँ:-

नोट:-

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार
<b>सीकर मुख्यालय</b>		
01	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर	पुलिस थाना, उद्योग नगर एवं साईबर पुलिस थाना, सीकर के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण (विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण) न्यायालय, सीकर के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण ) सम्पूर्ण सीकर जिले में उद्भूत होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसी एक्ट), ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट, पीटा एक्ट चिटफण्ड, बीज अधिनियम, खाद्य सुरक्षा ओर मानक अधिनियम एवं राजकीय विभागों की ओर से प्रस्तुत किये जाने वाले परिवाद तथा अन्य केन्द्रीय व राज्य अधिनियमों के तहत प्रकरण जहाँ क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में ही निहित है।
02	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या-01, सीकर	पुलिस थाना कोतवाली सीकर के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीकर एवं विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) न्यायालय सीकर के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण) व पी.सी.पी.एन.डी.

		टी. एक्ट (सम्पूर्ण सीकर जिला) एवं पुलिस थाना सदर सीकर, दादिया, रानोली के क्षेत्राधिकार में धारा 467, 468, 471, 477, 326, 409, 394 भारतीय दण्ड संहिता/धारा 338, 336(3), 340(2), 343, 118(2), 316(5), 309(6) भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज आपराधिक प्रकरण
03	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या-02, सीकर	महिला थाना, सीकर के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीकर) के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण एवं पुलिस थाना धोद एवं लोसल व गोकुलपुरा के क्षेत्राधिकार में धारा 467, 468, 471, 477, 326, 409, 394 भारतीय दण्ड संहिता/धारा 338, 336(3), 340(2), 343, 118(2), 316(5), 309(6) भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज आपराधिक प्रकरण
04	न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर	पुलिस थाना यातायात सीकर के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकृति के आपराधिक प्रकरण
05	अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या-01, सीकर	पुलिस थाना सदर सीकर (एन.आई.एक्ट प्रकरणों से भिन्न प्रकरण) एवं पुलिस थाना दादिया के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकृति के आपराधिक प्रकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीकर एवं ग्राम न्यायालय, कुड़ली के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण)
06	अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या-02, सीकर	पुलिस थाना रानोली के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकृति के आपराधिक प्रकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीकर एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या-01, सीकर व ग्राम न्यायालय, कुड़ली के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण) आबकारी वृत्त उत्तर व दक्षिण सीकर एवं आबकारी

		थाना सीकर में दर्ज होने वाले समस्त प्रकरण
07	अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या-03, सीकर	पुलिस थाना गोकुलपुरा (एन.आई.एक्ट प्रकरणों से भिन्न प्रकरण) के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकृति के आपराधिक प्रकरण एवं पुलिस थाना जीणमाता के क्षेत्राधिकार में आने वाले गांव बिडोली, अहीरों का बास, अर्जुनपुरा, देवगढ़, चौख्रा का बास, ताखरों की ढाणी, आतरी (कुण्डलपुर), भोया, माण्डोता, रलावता, जीणमाता, तम्बाकुपुरा, नीमेड़ा, जीणवास, माण्डोली, कोछोर, इन्द्रसिंहपुरा, सुखपुरा, रूपपुरा, रैवासा, प्रेमसिंहपुरा, खण्डेलसर, चकखण्डेलसर, हनुमानपुरा, रघुनाथपुरा, प्रतापपुरा, चिहाला, चक चिहाला, सवाईपुरा, मकसुदपुरा के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकृति के आपराधिक प्रकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीकर, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या-02, सीकर एवं ग्राम न्यायालय, कुड़ली के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण)
08	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन. आई. एक्ट प्रकरण), सीकर	पुलिस थाना कोतवाली सीकर, उद्योग नगर सीकर, पुलिस थाना गोकुलपुरा व सदर सीकर के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले केवलमात्र परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 से संबंधित समस्त प्रकरण
09	ग्राम न्यायालय, कुड़ली	पिपराली पंचायत समिति के अन्तर्गत आने वाले पुलिस थाना दादिया, पुलिस थाना सदर सीकर, पुलिस थाना रानोली, पुलिस थाना उद्योग नगर व पुलिस थाना गोकुलपुरा के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले वे आपराधिक प्रकरण, जो ग्राम न्यायालय अधिनियम के तहत ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में हैं।

<b>फतेहपुर मुख्यालय</b>		
10	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहपुर	पुलिस थाना कोतवाली फतेहपुर, रामगढ़ सेठान एवं आबकारी वृत्त फतेहपुर के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकृति के आपराधिक प्रकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण) एवं पुलिस थाना सदर फतेहपुर के क्षेत्राधिकार में धारा 467, 468, 471, 477, 326, 409, 394 भारतीय दण्ड संहिता/धारा 338, 336(3), 340(2), 343, 118(2), 316(5), 309(6) भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज आपराधिक प्रकरण
11	न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहपुर	पुलिस थाना सदर फतेहपुर के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकृति के आपराधिक प्रकरण एवं फतेहपुर, रामगढ़ सेठान उपखण्ड के धारा 138 एन.आई.एक्ट, एम.वी.एक्ट के समस्त प्रकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहपुर के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण)
<b>लक्ष्मणगढ़ मुख्यालय</b>		
12	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लक्ष्मणगढ़	पुलिस थाना लक्ष्मणगढ़ एवं आबकारी (राजस्व तहसील लक्ष्मणगढ़ में दर्ज प्रकरण ) लक्ष्मणगढ़ के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकृति के आपराधिक प्रकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण) एवं पुलिस थाना नेछवा व पुलिस थाना बलारा के क्षेत्राधिकार में धारा 467, 468, 471, 477, 326, 409, 394 भारतीय दण्ड संहिता/धारा 338, 336(3), 340(2), 343, 118(2), 316(5), 309(6) भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज आपराधिक प्रकरण
13	न्यायिक मजिस्ट्रेट,	पुलिस थाना नेछवा व पुलिस थाना बलारा के

	लक्ष्मणगढ़	क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकृति के आपराधिक प्रकरण एवं लक्ष्मणगढ़ उपखण्ड के धारा 138 एन.आई.एक्ट, एम.वी.एक्ट के समस्त प्रकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लक्ष्मणगढ़ के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण)
<b>दांतारामगढ़ मुख्यालय</b>		
14	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दांतारामगढ़	पुलिस थाना दांतारामगढ़ एवं पुलिस थाना खाटूश्यामजी, खाटूश्यामजी सदर तथा पुलिस थाना जीणमाता के क्षेत्राधिकार थाना दांतारामगढ़ के राजस्व गांव-बानुड़ा, खातीवास, मोहनपुरा, जीवणपुरा, उदयपुरा, रामपुरा, दुधवा, नयाबास, रूपगढ़, ठेहट, भवानीपुरा, काटिया, गोडियावास, सुलियावास, मुण्डियावास, तुली का चारणवास, मोतीपुरा, बल्लुपुरा के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकृति के आपराधिक प्रकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण)
<b>रींगस मुख्यालय</b>		
15	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रींगस	पुलिस थाना रींगस एवं आबकारी वृत्त रींगस व आबकारी थाना रींगस के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकृति के आपराधिक प्रकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण)
<b>श्रीमाधोपुर मुख्यालय</b>		
16	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या-01, श्रीमाधोपुर	पुलिस थाना श्रीमाधोपुर के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकृति के आपराधिक प्रकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण) व पुलिस थाना थोई (तहसील श्रीमाधोपुर) के क्षेत्राधिकार में धारा 467, 468, 471, 477, 326, 409, 394 भारतीय दण्ड संहिता/धारा 338, 336(3), 340(2), 343,

		118(2), 316(5), 309(6) भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज आपराधिक प्रकरण
17	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या-02, श्रीमाधोपुर	पुलिस थाना अजीतगढ़ (तहसील श्रीमाधोपुर) के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकृति के आपराधिक प्रकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण) व पुलिस थाना खण्डेला व पुलिस थाना जाजोद के क्षेत्राधिकार में धारा 467, 468, 471, 477, 326, 409, 394 भारतीय दण्ड संहिता/धारा 338, 336(3), 340(2), 343, 118(2), 316(5), 309(6) भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज आपराधिक प्रकरण
18	न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीमाधोपुर	पुलिस थाना थोई (तहसील श्रीमाधोपुर) के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकृति के आपराधिक प्रकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या-01, श्रीमाधोपुर के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण)
19	अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीमाधोपुर	आबकारी वृत्त श्रीमाधोपुर, आबकारी थाना श्रीमाधोपुर के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकृति के आपराधिक प्रकरण
<b>नीमकाथाना मुख्यालय</b>		
20	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या-01, नीमकाथाना	पुलिस थाना कोतवाली नीमकाथाना के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकृति के आपराधिक प्रकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण) व पुलिस थाना पाटन के क्षेत्राधिकार में धारा 467, 468, 471, 477, 326, 409, 394 भारतीय दण्ड संहिता/धारा 338, 336(3), 340(2), 343, 118(2), 316(5), 309(6) भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज आपराधिक प्रकरण
21	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक	पुलिस थाना सदर नीमकाथाना व आबकारी वृत्त

	मजिस्ट्रेट क्रम संख्या-02, नीमकाथाना	नीमकाथाना के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकृति के आपराधिक प्रकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण) एवं पुलिस थाना डाबला, पुलिस थाना अजीतगढ़, पुलिस थाना थोई (तहसील नीमकाथाना) के क्षेत्राधिकार में धारा 467, 468, 471, 477, 326, 409, 394 भारतीय दण्ड संहिता/धारा 338, 336(3), 340(2), 343, 118(2), 316(5), 309(6) भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज आपराधिक प्रकरण
22	न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमकाथाना	पुलिस थाना पाटन व आबकारी थाना नीमकाथाना (पाटन से संबंधित क्षेत्र) के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकृति के आपराधिक प्रकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या-01, नीमकाथाना के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण)
23	अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमकाथाना	पुलिस थाना डाबला व पुलिस थाना अजीतगढ़, पुलिस थाना थोई (तहसील नीमकाथाना से संबंधित क्षेत्र) के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकृति के आपराधिक प्रकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या-02, नीमकाथाना के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण)
<b>खण्डेला मुख्यालय</b>		
24	न्यायिक मजिस्ट्रेट, खण्डेला	पुलिस थाना खण्डेला व पुलिस थाना जाजोद के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकृति के आपराधिक प्रकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या-02, श्रीमाधोपुर के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण)
<b>धोद मुख्यालय</b>		
25	न्यायिक मजिस्ट्रेट, धोद	पुलिस थाना धोद व पुलिस थाना लोसल के

	क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकृति के आपराधिक प्रकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या-02, सीकर के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण)
--	---

1. सीकर न्यायक्षेत्र में वन विभाग एवं जिला परिवहन अधिकारी, सीकर द्वारा दर्ज प्रकरणों के संबंध में सीकर न्यायक्षेत्र में आने वाले पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार में अपराध घटित होना पाया जाता है, उसी पुलिस थाने से संबंधित क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय को सुनवाई की क्षेत्राधिकारिता प्रदान की जाती है।
2. जहां क्षेत्राधिकारिता के संबंध में अतिलंघता की स्थिति है, वहां पर वरिष्ठतम श्रेणी के न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार होगा और जहां दो न्यायालयों के बीच क्षेत्राधिकार के बाबत संदिग्धता है, वहां भी सुनवाई का क्षेत्राधिकार वरिष्ठतम न्यायालय को होगा। उसके उपरांत भी क्षेत्राधिकार के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर को होगा।

(विकास कुमार स्वामी)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
सीकर (राज.)

क्रमांक:-279-295

दिनांक:-05.03.2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, सीकर,
2. जिला कलेक्टर, सीकर,
3. पुलिस अधीक्षक, सीकर (समस्त थानाधिकारियों को सूचित करने बाबत)
4. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-1/ क्रम-2 सीकर/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-1/क्रम-2 नीमकाथाना/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-1/क्रम-2 श्रीमाधोपुर/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहपुर/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रींगस/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दांतारामगढ़/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लक्ष्मणगढ़,
5. प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, सीकर,
6. न्यायिक मजिस्ट्रेट सीकर, अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-1/क्रम-2/क्रम-3

सीकर/न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमकाथाना/अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट ,  
 नीमकाथाना/न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीमाधोपुर/अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
 श्रीमाधोपुर/न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहपुर/न्यायिक मजिस्ट्रेट, खण्डेला/न्यायिक  
 मजिस्ट्रेट, लक्ष्मणगढ़/न्यायिक मजिस्ट्रेट, धोद,

7. विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. प्रकरण), न्यायालय सीकर,
8. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, कुड़ली
9. जिला आबकारी अधिकारी, सीकर (समस्त आबकारी वृत्तों एवं थानों को सूचित करने बाबत)
10. पी.सीपी.एन.टी.डी. थाना जयपुर
11. जिला परिवहन अधिकारी, सीकर
12. पुलिस थाना पी.बी.आई. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर
13. अध्यक्ष अभिभाषक संघ, सीकर/ नीमकाथाना/ श्रीमाधोपुर/फतेहपुर/  
 लक्ष्मणगढ़/दांतारामगढ़ /रींगस/खण्डेला/धोद
14. सहायक निदेशक, अभियोजन विभाग, सीकर
15. नोटिस बोर्ड।
16. सिस्टम ऑफिसर को अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(विकास कुमार स्वामी)  
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
 सीकर (राज.)